

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: प्रारूप - 6 ::

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के अन्तर्गत श्रीमती चन्द्रा व्याख्याता, स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी राबाउमावि केकड़ी, अजमेर जन्म तिथि 17.02.1962 ने दिनांक 29.05.2020 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 02.09.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृति चाही है।

श्रीमती चन्द्रा व्याख्याता, स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी राबाउमावि केकड़ी, अजमेर पन्द्रह वर्ष की अर्हकारी सेवाएँ पूर्ण करने संबंधी शर्त पूर्ण करते हैं। अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के प्रावधानान्तर्गत इनकी दिनांक 02.09.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती चन्द्रा के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।



(सौरभ स्वामी)


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,

बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/स्वै.से.नि./2015-16/2018 दिनांक: 4/7/2020
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग,
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर
4. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, पं.स. केकड़ी, अजमेर
6. प्रधानाचार्य, राबाउमावि केकड़ी, अजमेर
7. श्रीमती चन्द्रा व्याख्याता, स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी राबाउमावि केकड़ी, अजमेर (वरिष्ठता क्रमांक एवं वर्ष - 271/1990-92 डीपीसी चयन 2011-12)
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/प्रभारी ओएसी प्रभाग, अनुभागों को सूचनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर